क्रमांकः एसवीएसय्/लेखा/2023/टीडीएस/006

दिनांक 24.04.2023

## सूचना

विषय: वितीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर की पुरानी और नई दरों के तहत टीडीएस की कटौती के लिए विकल्प का प्रयोग करना।

भारत सरकार ने नई कर संरचना को 01.04.2023 से अधिसूचित किया है। वितीय वर्ष 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25), जिसमें कुल कर योग्य आय की गणना बिना किसी छूट/कटौती के की जाएगी जैसे कि मानक कटौती, एचआरए छूट, गृह ऋण पर ब्याज, अध्याय VI अर्थात पीएफ के प्रावधानों के तहत दी गई कटौती , एलआईसी, एनपीएस आदि। आयकर की पुरानी और नई दरें इस प्रकार हैं:

New Tax Regime Slabs	Tax Rate	Old Tax Regime Slabs	Tax Rate
Rs. 0 to Rs. 3 lakh	0%	Rs. 0 to Rs. 2.5 lakh	0%
Rs. 3 lakh to Rs. 6 lakh	5%	Rs. 2.5 lakh to Rs. 5 lakh	
Rs. 6 lakh to Rs. 9 lakh	10%	Rs. 5 lakh to Rs. 10 lakh	5%
Rs. 9 lakh to Rs. 12 lakh	15%	Above Rs. 10 lakh	20%
Rs. 12 lakh to Rs. 15 lakh	20%	THE TOTAL TOTAL	30%
Above Rs. 15 lakh	30%		

- 2. वितीय वर्ष 2022-23 में प्रचिलित आयकर की पुरानी दर बनी रहेंगी और कर्मचारी को वेतन और भ्रतों से मासिक आयकर वस्ली के उद्देश्य से पुरानी दरों और नई दरों के बीच चयन करना होगा। पुरानी कर दरों में सभी मॉजूदा कटौती और छूट की अनुमित है।
- 3. वित्तीय वर्ष (2023-24) में आयकर की नई दर में बदलाव हुआ है जिसकी संरचना बिंदु संख्या 1 पे दी हुई है
- 4. इसिलए, सभी शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों (नियमित और संविदात्मक) से अनुरोध है कि वे लिखित रूप लेखा शाखा में या ईमेल के माध्यम से accounts@svsu.ac.in पर दिनांक 10.05.2023 तक पुराने या नए आयकर ढांचे के बीच चयन करने के लिए वितीय वर्ष



2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) वेतन और भत्तों से मासिक आयकर कटौती के उद्देश्य से अपने विकल्प का प्रयोग करें।

- 5. कर्मचारी को बचत घोषणा पत्र (12BB) नवीनतम 10.05.2023 तक जमा करना होगा जो वितीय वर्ष 2023-24 के लिए पुरानी कर संरचना का चयन करते हैं। हालाँकि, बचत प्रमाण की प्रतियां 31 जनवरी, 2024 तक जमा करनी होंगी।
- 6. आगामी वेतन आपके द्वारा चुने हुए विकल्प के अनुसार उचित टैक्स काटकर दिया जाएगा। यदि निर्धारित तिथि तक कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है, तो टीडीएस की गणना नई दर संरचना के अनुसार किया जायेगा।
- 7. यह भी नोट किया जाए कि इस प्रकार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान संशोधित नहीं किया जा सकता है।

Chief Accounts Officer SVSU, Gurugram

संलग्नक: घोषणा पत्र

प्रति क्रमांक: एसवीएसय्/लेखा/2023/टीडीएस/007-009

दिनांक 24.04.2023

- 1. उपरोक्त की प्रतिलिपि, रजिस्ट्रार, एसवीएसयू, गुरुग्राम को जानकारी के लिए भेजी जाती है।
- 2. उपरोक्त की प्रतिलिपि OSD to VC, एसवीएसयू गुरुग्राम को जानकारी के लिए भेजी जाती है।
- 3. आईटी सेल, एसवीएसयू गुरुग्राम इस नोटिस को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

## **OPTION FORM**

۱, _					HER	EBY G	IVE N	/IY C	CONSI	ENT
TO	CALCULA	TE THE	INCOME	TAX	SALAF	RY AS	PER	PRC	VISIC	ONS
			OF	FINAN	CE BIL	L, 202	3 A	ND	SUBI	MIT
	NTATIVE IN DFORMA.	ICOME	TAX & SA	VING	TO HE	AD OF	FICE I	N EN	VCLOS	SED
DA	TED: -			SIG	NATUR	RE				
				NA	ME:					
				DES	SIGNAT	ION:				
				PAY	EE CO	DE:				
				FAT	HER N	AME:				
				PLA	CE OF	POSTII	NG:			

## PROFORMA FOR INCOME TAX CALCULATION 2023-24 AS PER OPTION

1.	Total Salary Income (Including HRA)	
	Less HRA as admissible under Section 10	
3.	Less Education Allowance 10(14)	
4.	Balance Salary Income	
	Income/Loss from House Property	
	Less Standard Deduction @ 30% u/s 24(a)	
	Less HBA Intt. u/s 24(b)	
6.	Income from other sources	
	Gross Total Income	
	Deductions under Section80 C: (subject to max.	imum limit of Rs. 1,50,000/-)
	k. GPF/NPS	
	1. GIS	
	m. PLI	
	n. LIC	
	o. PPF	
	p. NSC	
	g. TUTION FEE	
	r. MUTUAL FUND	
	s. HBI, Repayment for construction New	
	t. House (No rebate will be given for plot loar	1/
	extension/repair of house; those who have	
	not completed the house, no rebate will b	
	Deductions under Section 80D, 80DD, 80 EE &	
	Standard Deduction of Rs. 50,000 u/s 17(2)vii	
8.		
9.	Tax rates/calculation	AS PER PROVISONS A&B
		FINANCE BILL, 2023
10	. Total Tax	
10	Less Rebate u/s 87 A of Rs.12,500	
	(Whose taxable income less than Rs. 5,00,000/-)	
11	. Total Tax	
	Add: Education Cess 4%	
12	2. Total Tax Payable	
13	3. Tax already paid	
14	. Balance tax to be paid	
15	5. Balance monthly installment	
No		nation.  Tent paid by you exceeds  Rs.  No of the landlord is not submitted, a person  Rs. 8,333/- will not be given HRA Rebate as per  ted" and with the certificate "paid by me".  erest should be self attested & an undertaking

Signature

Name: Payee code: Designation.